न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा जिला बुलन्दशहर।
सत्र वाद संख्या :1096/2020
सरकार बनाम लालाराम।

<u>बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं०</u>

नाम– लालाराम पिता का नाम– रामप्रसाद गिरी उम्र– 33 वर्ष
पेशा– मजदूरी निवासी– माताघाट चामण्ड मन्दिर के सामने खुर्जा नगर
थाना– खुर्जा नगर जिला– बुलन्दशहर।

प्रश्न सं० 1– यह कि अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 24.02.2020 को समय सुबह करीब 05:30 बजे स्थान वादी सचिन के मकान, स्थित काशीराम आवास, कालिन्दी कुन्ज, कस्बा व थाना खुर्जा जिला बुलन्दशहर में आपने वादी की पत्नी पूजा के घर में घुसकर उसकी चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश करके बेहोशी की हालत में उसके साथ बलात्कार किया गया। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?
उत्तर– गलत है, झूठा आरोप लगाया है।

प्रश्न सं० 2– यह कि अभियोजन कथानक के अनुसार उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी की पत्नी पूजा को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोशी की हालत में व तत्पश्चात् अन्य स्थान पर ले जाकर उसके साथ बिना सहमति के बलात्कार किया तथा बेहोशी की हालत में अन्यत्र स्थान पर ले जाने के पश्चात उसके होश में आने पर आपने उसे व उसके पति को जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?
उत्तर– गलत है, झूठा आरोप लगाया है।

प्रश्न सं० 3– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 1 वादी सचिन कुमार के बयान सुने जिसने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि मेरी पत्नी का नाम पूजा है। मैं अपनी पत्नी के साथ किराये पर गुलाब सिंह के मकान में माताघाट फाटक चामड़ मन्दिर के पास रहता था। मैं जय भारत पॉटरी खुर्जा में सुभाष रोड पर सुबह चार बजे काम के लिए गया था। मैं अपनी पत्नी को कमरे पर ही छोड़कर गया था। मैं उसी दिन समय 11:00 बजे वापिस आया। 11:00 बजे के कमरे पर वापिस आया। मैने देखा पूजा कमरे पर नहीं मिली। मैं इधर–उधर घूमा अड़ोसी–पड़ोसी से पता पूंछा। मैने 3–4 घण्टे पूजा को वहाँ देखा फिर मैने ससुराल फोन किया। फोन बन्द था, फिर मैं ससुराल पहुँचा। वहाँ पूजा नहीं मिली, फिर उसी रात को मैं कमरे पर वापिस आया तो मैने वहाँ पडोसी से पूछा तो पड़ोसी ने बताया कि लाला जो तुम्हारे गली के पीछे रहने वाला है, पूजा को गाड़ी में ले जा रहा था। उस समय पूजा सोई हुई थी। मैने अगले दिन थाना खुर्जा नगर पर एक लिखित तहरीर दी। पत्रावली पर पेपर सं० 4A/4 तहरीर मौजूद है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। तहरीर पर मैने हस्तलेख में लिखकर हस्ताक्षर करके दिनांक 25.02.2020 को थाना खुर्जा नगर पर दी थी। तहरीर पर **<u>प्रदर्श क–1</u>** डाला गया। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?
उत्तर– गलत है, रंजिशन झूठी रिपोर्ट लिखायी है तथा गलत बयान दिया है।

प्रश्न सं० 4–	यह कि साक्षी पी०डब्लू० 1 द्वारा अपनी साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि दिनांक 26.02.2020 को पूजा बस अड्डे पर मिली थी, पूजा ने मुझे किसी अन्य व्यक्ति के फोन किया तो मैं बस अड्डे पर पहुँचा तो पूजा ने मुझे आपबीती बताई कि जब आज सुबह काम पर चले गए थे। आपके काम पर जाने के बाद 05:30 बजे लालाराम जो पीछे गली में रहता है। मेरे घर में आया और कहा कि भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पूजा ने कहा कि मैं हल्ला मचा दूंगी। मेरा आदमी घर पर नहीं है। लाला ने कहा कि मैं तो केवल चाय पीने आया हूँ। चाय पिला दो। पत्नी बोली किचन में चाय बनी रखी है। लाला ने कहा कि मैं चाय गर्म करके लाता हूँ। जैसे ही पूजा ने चाय पी तो वह चाय पीकर बेहोश हो गई। लाला ने मेरी चाय में कुछ मिला दिया था और फिर लाला मुझे अपनी बहन के घर दादरी ले गया और मेरा साथ लाला ने बलात्कार किया। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर–	गलत है, असत्य बयान दिया है।

प्रश्न सं० 5–	यह कि साक्षी पी०डब्लू० 1 द्वारा अपनी साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि जब मुझे होश आया तब मैं दादरी में उसकी बहन के यहां थी और मेरे सारे कपडे उतरे हुए थे। उसी दिन लाला ने मेरे साथ यह धमकी देते हुए कहा कि तुझे व तेरे पति को जान से मार दूंगा, यह कहते हुए दोबारा बलात्कार किया। मेरी पत्नी ने लाला व उसकी बहन के हाथ पैर जोड़े कि कि मुझे छुड़वा दो। जब लाला मुझे अपनी बहन के कहने से छोड़ने आ रहा था तो कह रहा था कि मेरे खिलाफ कुछ भी कार्यवाही कर लो, मैं तुझे व तेरे आदमी को जान से मार दूंगा। मैं फिर पूजा को लेकर थाने आ गया। मेरी पत्नी से 2–3 दिन तक थाने पर ही पूंछताछ की, फिर 28 तारीख को शायद मेरी पत्नी को बुलन्दशहर ले गये। बुलन्दशहर न्यायालय में ले गए थे। न्यायालय में मेरी पत्नी पूजा का बयान हुआ था। बयान दिलाने थाने से महिला पुलिस कांस्टेबल व एक दरोगा जी न्यायालय गए थे। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर–	गलत है, असत्य बयान दिया है।

प्रश्न सं० 6–	यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 2 श्रीमती पूजा के बयान सुने जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 24.02.2020 को मैं अपने घर पर थी, जिस समय घटना घटी थी। उस समय खुर्जा में अपने घर पर थी। मेरे पति सुबह चार बजे अपनी ड्यूटी जाते हैं। घटना वाले दिन भी मेरे पति चार बजे ड्यूटी गये थे। उस दिन साढ़े पाँच बजे लाला मेरे घर पर आया था। उसके बाद मुझसे बोला कि भाभी जी आपसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। उससे मैने मना किया कि मैं अभी बात नहीं कर सकती हूँ। मैने बोला कि तुझसे (लाला) से अभी मैं बात नहीं कर सकती हूँ। उसने बोला कि भाभी मुझे आपसे अभी बात करनी है। उस समय मेरे घऱ पर चाय बनी रखी थी। उसके बाद उसने कहा कि भाभी जी एक एक कप चाय हो जाए। मुझे नहीं पता लालाराम चाय में क्या मिलाकर लाया था। उसे पीकर मैं बेहोश हो गयी। फिर मुझे हल्का हल्का नशा महसूस होने लगा, फिर मुझे पता नहीं चला। लाला मुझे दादरी ले गया था। लाला ने मुझे दादरी ले जाकर मेरे साथ गलत काम किया था। लाला ने गलत काम मेरे साथ मेरे घर पर भी किया था। मैने लाला से कहा था कि मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है तो उसने कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी

करना चाहता हूँ। मैने उससे कहा था कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। लाला ने मुझे व मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी थी। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– गलत है, असत्य बयान दिया है।

प्रश्न सं० 7– यह कि साक्षी पी०डब्लू० 2 द्वारा अपनी साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि दूसरे दिन लाला मुझे खुर्जा में बस अड्डे पर छोड़कर गया था। वह तारीख मुझे याद नहीं है। एक अनजान आदमी से फोन लेकर मैंने अपने पति को बस अड्डे पर बुलाया और उनके साथ थाने पर गयी थी। थाने पर मेरे बयान लिए गए थे। उसी दिन मेरा मेडिकल कराने पुलिस वाले अस्पताल लेकर गए थे। अस्पताल वालों ने उस दिन मेरा मेडिकल करा नहीं था। धारा 164 दं०प्र०सं० का बयान देखकर कहा कि इस पर लगा फोटो मेरे है। इस पर हस्ताक्षर मेरे नहीं है, मैं पढ़ी–लिखी नहीं हूँ। फिर कहा, दोनों हस्ताक्षर मेरे हैं। बुलन्दशहर के जज साहब के सामने मेरा बयान हुआ था। मेरे बयान उन्तीस तारीख में हुआ था, जो मैंने बयान बोला था, वहीं उन्होंने लिखा था। गवाह को धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान दिखाया गया। गवाह ने बताया कि यही बयान है जो मैंने बुलन्दशहर न्यायालय में दिया था, जिस पर मैंने अपने हस्ताक्षर किये थे, जिस पर **<u>प्रदर्श क–2</u>** डाला गया, जो पत्रावली पर पेपर सं० 15A/1 मौजूद है। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– गलत है, असत्य बयान दिया है।

प्रश्न सं० 8– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 3 डॉक्टर उर्मिला सिंह के बयान सुने, जिन्होंने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 28.02.2020 को मैं महिला अस्पताल खुर्जा में बतौर मेडिकल ऑफिसर के रूप में तैनात थी। उस दिन थाना खुर्जा नगर से महिला होमगार्ड संध्या, पूजा पत्नी सचिन निवासी माताघाट खुर्जा थाना खुर्जा नगर को साथ लेकर मेरे पास आयी थी। पीड़िता थाना खुर्जा नगर के मु०अ०सं० 21/20 धारा 498 भा०दं०सं० से संबंधित थी। पीड़िता की शिनाख्त साथ लायी महिला होमगार्ड द्वारा की गयी थी। मेरे द्वारा पीड़िता से परीक्षण के बारे में उसकी अनुमति लेने का प्रयास किया, तो पीड़िता ने परीक्षण कराने मना कर दिया। पीड़िता के हस्ताक्षर मेरे द्वारा प्रमाणित है। पूंछने पर पीड़िता ने बताया कि दिनांक 24.02.2020 को लगभग 05:30 बजे सुबह लाला नाम का आदमी मेरे घर में आया। उस समय मेरे पति घर पर नहीं थे। वो सुबह 04:00 बजे अपनी ड्यूटी पर चले जाते है। लाला ने उससे चाय पीने के लिए कहा जब मैं चाय बनाकर लायी तो उसने मेरी चाय में दवाई डाल दी। चाय पीकर मैं बेहोश हो गयी। पीड़िता ने अपने बयान के नीचे अपने हस्ताक्षर भी किये थे, जो मेरे द्वारा प्रमाणित, निशानी अंगूठा भी मेरे द्वारा प्रमाणित है। पीड़िता मेरे पास दिनांक 28.02. 2020 को 04:00 PM पर परीक्षण के लिए आयी थी। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 10A जो कि हस्तलिखित मेडिकल परीक्षण के रूप में है, को देखकर कहा कि यही परीक्षण रिपोर्ट मेरे द्वारा परीक्षण के वक्त तैयार की गई थी। यह मेरे हस्तलेख में है। इस पर मेरे हस्ताक्षर भी है। इस पर **<u>प्रदर्श क–3</u>** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– गलत है, पीड़िता के बयान देने की बात गलत है।

प्रश्न सं० 9– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 4 कां० क्लर्क 1239 राहुल कुमार के बयान सुने जिसने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मैं दिनांक 27.02.2020 को थाना खुर्जा नगर में बतौर कां० क्लर्क तैनात था। उस दिन इस मुकदमे का वादी सचिन पुत्र मोहनलाल निवासी कालिन्दी कुन्ज कांशीराम आवास खुर्जा एक हस्तलिखित तहरीर लेकर थाना हाजा पर आया था। इस तहरीर के आधार पर मेरे द्वारा NCR No. 21/2020 अन्तर्गत धारा 498 भा०दं०सं० लाला के विरूद्ध थाना हाजा पर बोल–बोलकर अंकित की गई थी। यह NCR मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर अंकित की गई थी। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 4A/3 जो कि कम्प्यूट्रीकृत NCR No.21/2020 के रूप में मौजूद है, को देखकर कहा कि यही NCR मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर अंकित की गई थी। इस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। इस NCR का खुलासा मेरे द्वारा उसी दिन दिनांक 27.02.2020 को जी.डी. नं० 48 समय 17:32 बजे पर किया गया था। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 6A/2 जो कि कम्प्यूट्रीकृत जी.डी.नं० 48 के रूप में है, को देखकर कहा कि इसी जी.डी. पर मेरे द्वारा इस NCR का खुलासा किया गया था। जी.डी. पर मेरे इनीशियल हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। विवेचक महोदय ने मेरा बयान लिया था। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– गलत है।

प्रश्न सं० 10– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 5 रिटायर एस.आई. रामजी लाल चौहान के बयान सुने जिन्होंने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि मैं दिनांक 28.02.2020 को थाना खुर्जा के अन्तर्गत आने वाली चौकी सबारान पर चौकी इंचार्ज के पद पर तैनात था। उस दिन मुझे इस मुकदमे की विवेचना प्राप्त हुई थी। नकल चिक, नकल रपट, नकल रपट कायमी NCR थाना कार्यालय से प्राप्त कर उसका अवलोकन कर सी.डी. में अंकन किया और उसी दिन NCR लेखक कां० क्लर्क राहुल कुमार व कां० क्लर्क अवधेश कुमार के बयान सी.डी. में अंकित किये और उसी दिन वादी मुकदमा सचिन के बयान सी.डी. में अंकित किये। वादी से घटनास्थल निरीक्षण कराने को कहा तो वादी ने कहा कि समय मिलने पर घटनास्थल का निरीक्षण कराऊंगा। उसी दिन पीड़िता पूजा के बयान सी.डी. में अंकित किये। उसी दिन महिला कां० संध्या शर्मा के साथ मजरूब चिट्ठी लेकर पीड़िता को मेडिकल हेतु महिला अस्पताल खुर्जा को भेजा। दिनांक 29.09.2020 को पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन कर सी.डी. में अंकित किया। उसी दिन मेरे द्वारा अभियुक्त के घर पर दबिश दी गई, लेकिन अभियुक्त घर पर नहीं मिला। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– गलत है, असत्य बयान दिया है।

प्रश्न सं० 11– यह कि साक्षी पी०डब्लू० 5 द्वारा अपनी साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि दिनांक 01.03.2020 को पीड़िता को महिला कां०संध्या शर्मा के साथ धारा 164 दं०प्र०सं० का बयान न्यायालय भेजकर अंकित कराया गया। उसका विवरण सी.डी. में अंकित किया। दिनांक 02.03.2020 को वादी को साथ लेकर घटनास्थल का निरीक्षण कर वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा नजरी मौके पर तैयार किया गया। साक्षी ने पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं० 7A जो कि नक्शा नजरी मु०अ०सं० 148/2020 के रूप में है, को देखकर कहा कि यही नक्शा नजरी मौके पर मेरे द्वारा तैयार की गई थी। यह मेरे हस्तलेख में है, इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया। उसी दिन

मेरे द्वारा माननीय न्यायालय उपस्थित होकर माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर धारा 164 दं०प्र०सं० का अवलोकन कर उसका विवरण सी.डी. में अंकित किया गया। अब तक की विवेचना में 161, 164 दं०प्र०सं० के बयानों के आधार पर मुकदमे में 328 भा०दं०सं० की वृद्धि की गई। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– गलत है, विवेचना गलत की है तथा असत्य बयान दिया है।

प्रश्न सं० 12– यह कि साक्षी पी०डब्लू० 5 द्वारा अपनी साक्ष्य में यह भी बताया गया है कि दिनांक 03.03.2020 को मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त लालाराम को दाता राम चौकी खुर्जा के पास से गिरफ्तार किया गया और उसको जुर्म से अवगत कराकर हिरासत में लिया गया और थाने पर लाकर हवालात में बन्द कर उसका बयान अंकित किया गया और उसी दिन अभियुक्त को न्यायालय भेजकर उसका रिमाण्ड माननीय न्यायालय से कराया। दिनांक 15.04.2020 को वादी मुकदमा के मकान मालिक गुलाब सिंह व उसके लड़के नीतेश के बयान सी.डी. में अंकित किये। वहां पर राहुल पुत्र सुखपाल नाई के बयान सी.डी. में अंकित किये गये। दिनांक 19.05.2020 को महिला अस्पताल पर जाकर पीड़िता का मेडिकल करने वाली डॉक्टर उर्मिला का बयान सी.डी. में अंकित किया गया। उसी दिन दिनांक 19.05.2020 को अब तक की विवेचना में संकलित साक्ष्य, बयान वादी, बयान पीड़िता, निरीक्षण घटनास्थल, बयान स्वतंत्र गवाह आदि के आधार पर अभियुक्त लालाराम के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 376, 506, 452, 328 भा०दं०सं० में आरोप पत्र सं० 271/2020 दिनांक 19.05.2020 को प्रेषित किया गया। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 3A/1 लगायत 3A/2 जो कि कम्प्यूटीकृत आरोप पत्र के रूप में है, को देखकर कहा कि यही आरोप पत्र मेरे द्वारा प्रेषित किया गया था। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– गलत है, असत्य बयान दिया है।

प्रश्न सं० 13– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 6 कां०क्र्क/हे०कां० अवधेश कुमार के बयान सुने जिसने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं दिनांक 28.02.2020 को थाना खुर्जा नगर में बतौर कां०क्लर्क तैनात था। उस दिन मेरे द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत NCR No.21/20 धारा 498 भा०दं०सं० को महिला कां० अंजू रानी द्वारा पीड़िता के धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान के आधार पर मु०अ०सं० 148/20 अन्तर्गत धारा 376, 506, 452 भा०दं०सं० में शब्द व शब्द बयान धारा 161 दं०प्र०सं० के आधार पर कम्प्यूटर पर बोल–बोलकर पंजीकृत किया था। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– गलत है, असत्य बयान दिया है।

प्रश्न सं० 14– यह कि साक्षी पी०डब्लू० 6 द्वारा अपनी साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 4A/1 लगायत 4A/2 जो कि मु०अ०सं० 148/20 की चिक एफ०आई०आर० कम्प्यूटीकृत के रूप में है, को देखकर कहा कि यही चिक एफ०आई०आर० मेरे द्वारा

पंजीकृत की गई थी। इस तत्कालीन एस.एच.ओ. के हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया। इस मुकदमे का खुलासा मेरे द्वारा जी.डी. सं० 55 समय 21:25 बजे दिनांक 28.02.2020 को किया गया था। साक्षी ने पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 6A/1 जो कि जी.डी. सं० 55 दिनांक 28.02.2020 समय 21:25 बजे के रूप में है, को देखकर कहा कि इसी जी.डी. पर मेरे द्वारा इसी मुकदमे का खुलासा किया गया था। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। इस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– गलत है, असत्य बयान दिया है।

प्रश्न सं० 15– यह कि आपने साक्षी पी०डब्लू० 7 नितेश उर्फ रामकुमार के बयान सुने, जिसने सशपथ बताया है कि सचिन व पूजा हमारे घर पर किराये पर रहते थे। जब पूजा गयी थी तब सचिन काम पर था। सचिन ने रिपोर्ट लिखवायी थी लालाराम के खिलाफ लिखवायी थी। पुलिस ने हमसे पूंछताछ की थी। पुलिस ने घर का नक्शा बनाया था। लालाराम हमारे घर के पीछे रहता था। बीच में एक गली है। इस सम्बन्ध आपको क्या कहना है ?

उत्तर– कुछ नहीं कहना।

प्रश्न सं० 16– वादी द्वारा आपके विरूद्व मुकदमा क्यों दर्ज कराया गया एवं पीडिता द्वारा आपके विरूद्व साक्ष्य क्यों दी गयी ?

उत्तर– झूठा रंजिशन मुकदमा दर्ज कराया तथा असत्य बयान दिया है।

प्रश्न सं० 17– क्या आप प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करना चाहते हैं ?

उत्तर– जी हाँ।

प्रश्न सं० 18– क्या आपको घटना के संबंध में कुछ और कहना है?

उत्तर– वादी पॉट्री का काम करता है तथा अभियुक्त भी पॉट्री का काम करता है। इसी रंजिश में झूठा मुकदमा लिखाया है।

सुनकर तस्दीक किया।

दिनांक: 19.03.2026

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा (बुलन्दशहर)

Steno Mohd Afsan

Digitally signed by DILIP KUMAR SACHAN
Date: 2026.03.19 16:05:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court